



क्रमांक ५५५५ ई.न.पा./UAD/2019

भोपाल, दिनांक: 19/06/2019

प्रति,

1. समस्त आयुक्त,
नगर पालिक निगम (समस्त),
मध्य प्रदेश।
2. समस्त मुख्य नगर पालिका अधिकारी,
नगर पालिका/परिषद् (समस्त),
मध्य प्रदेश।

महत्वपूर्ण

विषय:— **आदेश**—जन्म-मृत्यु पंजीयन कार्य केन्द्रीय सॉफ्टवेयर (सीआरएस) द्वारा संपादित किये जाने के संबंध में।
संदर्भ:— आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय, मध्यप्रदेश का पत्र क्रमांक—I4432A /2019/आसास/13—जीव दिनांक—03.06.2019।

विषयांतर्गत लेख है कि आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय मध्यप्रदेश के पत्रानुसार जन्म-मृत्यु पंजीयन का कार्य मात्र केन्द्रीय सॉफ्टवेयर (सीआरएस) द्वारा ही उपयोग किये जाने का लेख किया गया है, क्योंकि यह कार्य भारत सरकार की जन्म-मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम-1969 के तहत पूरे देश में एकसमान व्यवस्था हेतु लागू किया गया है।

अतः उपरोक्त संदर्भित पत्र के तारतम्य में समस्त नगरीय निकायों को निर्देशित किया जाता है कि जन्म-मृत्यु पंजीयन का कार्य मात्र केन्द्रीय सॉफ्टवेयर (सीआरएस) द्वारा संपादित किया जाना सुनिश्चित करें। शेष समस्त नागरिक सेवा (विवाह पंजीयन, अनुरोधित सेवा-वॉटर टैंकर, मोबाईल टॉयलेट, कूड़ा/मलवा संग्रहण इत्यादि) प्रदाय किये जाने तथा अन्य मॉड्यूल्स का कार्य यथानुसार ई-नगर पालिका द्वारा ही किया जाना अनिवार्य होगा।

उपरोक्त निर्देश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।
(आयुक्त नगरीय प्रशासन एवं विकास द्वारा अनुमोदित)

(आशीष सक्सेना)

अपर आयुक्त

नगरीय प्रशासन एवं विकास

भोपाल, दिनांक: 19/06/2019

पृ०क्र० ५५५६/UADD/ई.न.पा./2019

प्रतिलिपि:—

1. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, समस्त संभाग:—की ओर सूचनार्थ हेतु प्रेषित।
2. मेसर्स यूएसटी ग्लोबल, को आवश्यक कार्यवाही तथा सूचनार्थ हेतु प्रेषित।

अपर आयुक्त

नगरीय प्रशासन एवं विकास